उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले और रिक्त पद

335. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

प्रो० सी० लक्ष्मन्ना :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में (i) गत दो वर्षों (ii) गत तीन वर्षों से क्रमशः कितने-कितने मामले लम्बित पड़े हैं ;

(ख) न्यायाधीशों के रिक्त पद वर्षों तक न भरे जाने के क्या मुख्य कारण हैं जबकि इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये नई पदों की आवश्यकता है और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के लिये वर्तमान पद संख्या में से कुल कितने पद रिक्त हैं और इन सब पदों को कब तक भर लिया जायेगा ; और

(ग) क्या जिला सेशन न्यायालयों में यही स्थिति है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :

उच्चतम न्यायालय

	2 वर्ष से अधिक समय से लंबित सुनवाई के नियमित मामलों की संख्या	3 वर्ष से अधिक समय से लंबित सुनवाई के नियमित मामलों की संख्या
तारीख 1-1-1988 को	30,942	27,014

उच्च न्यायालय

	2 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले	3 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले
तारीख 1-1-1987 को	*6,14,226	*4,33,191

*इसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) तारीख 22-2-1988 की उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति पद संख्या 26 थी और उनमें 9 पद रिक्त थे। सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की स्वीकृति पद संख्या 443 थी तथा 65 पद रिक्त थे। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श से विचार-विमर्श अंतर्ग्रलित है। इन पदों पर नियुक्तियां करने के लिये कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह बताना संभव नहीं है कि इन पदों को कब तक भरा जायेगा। पदों को भरना एक निरंतर प्रक्रिया है। मामलों के निपटान के लिये अपेक्षित पदों के संबंध में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों

की स्वीकृत संख्या का समय समय पर कार्यभार और अन्य सुसंगत पक्षों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विलोकन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के प्राधिकृत पदो की संख्या मई, 1986 मे 18 से बढकर 26 कर दी गई थी। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 89 नये पद सृजित करने का विनिश्चय किया गया है।

(ग) जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्याय का प्रशासन मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

Current expendition to Antarctica

336. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the main objectives of the current Antarctica expedition;

(b) what useful informations were made available by the previous missions; and

(c) the manner in which this information has been utilised for the development of Science in India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) The main objectives of the Seventh Antarctic Expedition include continuation of both logistic and scientific activities, Major thrust areas include repair and maintenance of living and working accommodation with all their services and continuation of researches in geology, geophysics, geomegnetism meteorology, upper atmosphere, oceanography and biology.

(b) Previous expeditions have generated a wealth of useful information on the development of infrastructure and living and working facilities in the icy continent. These are of much relevance to our work in the high altitude of the country.

(c) The data and information collected and analysed are fully used by various institutions in the country for improving future scientific programmes. The results of research are published and communicated, on an exchange basis, to all other countries having their presence in Antarctica. Growth of polar science in India which is about seven years now, has been very rapid.

Allocation for central Projects in Bihar

337. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the number of various Central projects in Bihar for which allocation of funds were made during the Sixth Five Year Plan;

(b) whether the entire funds were utilised;

(c) if so, the detals thereof?

(d) whether any assessment has been made about the escalation in the cost of the on-going projects; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BIREN SINGH ENGTI): (a) to (c) The inforamtion is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) and (e) An assessment carried out as on 30th September, 1987 has shown that out of 311 Central Projects, costing more than Rs. 20 crores each, on the Quarterly Monitoring System, 211 projects reported cost over-run with respect to their original cost estimates.